



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांक: 03-10-2018

File No. MLS/1/2018/STGBH/DEOTH/RU-III

सिटिंग नोटिस

विषय :- बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 57/96 द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता के आधार पर बने मेरिट लिस्ट में अनिवार्य विषयों में अनुतीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्त करने एवं उतीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर वरीयता प्रभावित करने के सम्बन्ध में श्री मोती लाल साह पिता परमेश्वर साह ग्राम नयागांव, पोर्ट-चैनपुर जिला सिवान (बिहार) का अभ्यावेदन।

यूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2 सुश्री अनुसुईया उड़के, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनाक 30-10-2018 को 14.00 बजे स्टिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपरिथित होना सनिश्चित करें।

4 कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

三

(डॉ. तालिम लट्टा)  
निदर्शक

सेवा में

1. सचिव,  
बिहार लोक सेवा आयोग,  
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (बेली रोड),  
पटना - 800001 (बिहार)

2. ~~जिला कलेक्टर,~~  
~~जिला - सिवान,~~  
~~(बिहार)~~

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्री मोती लाल साह,  
ग्राम नयागांव, पोस्ट-चैनपुर,  
जिला सिवान (बिहार)

2. जिला कलेक्टर,  
जिला - सिवान,  
(बिहार)

~~8402-04~~  
4/10/18

8402  
4/10/18  
जारी किया  
ISSUED